

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/19

जयपुर, दिनांक : 11-04-2019

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम्' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	141/2003	श्री विक्रम सिंह यादव कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	31.10.2043	5/ए/1 बहुमंजिला, गांधीनगर (5/ए/22 बहुमंजिला, गांधीनगर के स्थान पर)
2.	58/2010	श्री रामजीलाल मीणा लिपिक ग्रेड-प्रथम प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2043	5/62, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (5/63, गांधीनगर के स्थान पर)
3.	72/2010	श्री दलजीत सिंह सहायक अनुभागाधिकारी निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2041	जीए/5/टी-1/135, विद्याधर नगर (जीए/5/टी-1/136 के स्थान पर)
4.	27/2012	श्री सांवरमल शर्मा लिपिक ग्रेड-प्रथम कार्यालय निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, शासन सचिवालय, जयपुर	30.07.2046	जीए/5/टी-1/42, विद्याधर नगर
5.	23/2008	श्री राजेन्द्र कुमार मीना सहायक प्रशासनिक अधिकारी निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर	31.05.2036	5/85, गांधीनगर (5/149, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर)
6.	24/2008	श्री अशोक मीणा कनिष्ठ लिपिक नागरिक सुरक्षा एवं गृहरक्षा जयपुर।	31.03.2044	5/54, गांधीनगर
7.	25/2008	श्री रामरतन मीणा कनिष्ठ लिपिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग क्षेत्र, जयपुर।	30.06.2040	5/60, गांधीनगर
8.	32/2012	श्री प्रमोद कुमार लिपिक ग्रेड-प्रथम कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2042	5/70, गांधीनगर
9.	91/2012	श्री हिमांशु गुप्ता लिपिक ग्रेड-II चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.05.2053	5/डी/9 बहुमंजिला, गांधीनगर,
10.	95/2012	श्रीमती मीनाक्षी, लिपिक ग्रेड-I पशुपालन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2044	5/डी/13 बहुमंजिला, गांधीनगर
11.	28/2008	श्रीमती सीमा टांक कनिष्ठ लिपिक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	31.01.2028	5/67, गांधीनगर
12.	30/2008	श्री हरिओम टांक कनिष्ठ लिपिक सहकारी विभाग, जयपुर।	31.12.2024	5/95, गांधीनगर
13.	31/2008	श्री हरिनारायण मीणा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, पेंशन विभाग, जयपुर।	31.07.2028	5/100, गांधीनगर

(Handwritten Signature)

14.	97/2012	श्री अभिमन्यु शर्मा लिपिक ग्रेड-1 कार्यालय ऊर्जा मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर	31.05.2052	5/107, गांधीनगर
15.	98/2012	श्री विरेन्द्र सिंह लिपिक ग्रेड-1 गृह (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2044	5/58, गांधीनगर
16.	32/2008	श्री शैजाद खॉ कनिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), क्रम संख्या 8, जयपुर शहर, जयपुर	30.06.2037	5/112, गांधीनगर
17.	33/2008	श्री अशोक कुमार चौधरी कनिष्ठ लिपिक साधारण बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर।	30.06.2037	5/113, गांधीनगर
18.	34/2008	श्रीमती उर्मिला कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।	30.06.2038	5/136, गांधीनगर
19.	101/2012	सुश्री रेखा यादव लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.11.2049	5/142, गांधीनगर
20.	102/2012	श्री श्रेयांश प्रसाद शर्मा लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2041	5/150, गांधीनगर
21.	35/2008	श्री दीपक कुमार सिंधी लेब टेक्नीशियन औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, सेठी कॉलोनी, जयपुर।	31.10.2035	5/ए/20 बहुमंजिला, गांधीनगर
22.	36/2008	श्रीमती किरण जगरवाल लेब टेक्नीशियन औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सेठी कॉलोनी, जयपुर।	31.10.2037	5/ए/24 बहुमंजिला, गांधीनगर
23.	42/2008	श्री रामबाबू प्रजापत वाहन चालक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।	30.09.2038	5/बी/22 बहुमंजिला, गांधीनगर
24.	108/2012	श्री सुरेश कुमार लिपिक ग्रेड-1 अल्पसंख्यक मामलात विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2038	5/डी/11 बहुमंजिला, गांधीनगर
25.	109/2012	श्री गजेन्द्र भारद्वाज लिपिक ग्रेड-1 कार्यालय मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2047	5/बी/23 बहुमंजिला, गांधीनगर
26.	43/2008	श्री आशीष शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।	30.06.2041	जीएडी/5/टी-1/23, विद्याधर नगर
27.	45/2008	श्री जयप्रकाश वर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।	30.11.2045	जीएडी/5/टी-1/44, विद्याधर नगर
28.	47/2008	श्री पवन कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।	30.11.2030	जीएडी/5/टी-1/47, विद्याधर नगर

Handwritten signature

29.	4/2013	श्री रामप्रकाश लिपिक ग्रेड-1 कार्यालय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2045	जीएडी/5/टी-1/51, विद्याधर नगर
30.	5/2013	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक(ख-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2034	जीएडी/5/टी-1/54, विद्याधर नगर
31.	48/2008	श्रीमती अम्बर बेगम कनिष्ठ लिपिक अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।	28.02.2025	जीएडी/5/टी-1/64, विद्याधर नगर
32.	50/2008	श्री मुकेश कुमार रावत कनिष्ठ लिपिक वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।	31.10.2030	जीएडी/5/टी-1/85, विद्याधर नगर
33.	51/2008	श्रीमती भगवन्ती भगनानी कनिष्ठ लिपिक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.05.2030	जीएडी/5/टी-1बी/89, विद्याधर नगर
34.	7/2013	श्री किशना राम लिपिक ग्रेड-1 वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2041	5/ए/2 बहुमंजिला, गांधीनगर
35.	8/2013	श्री पृथ्वीराज गोयल लिपिक ग्रेड-1 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2037	जीएडी/5/टी-1/91, विद्याधर नगर
36.	52/2008	श्री हनुमान प्रसाद वर्मा वरिष्ठ लिपिक जनाना अस्पताल, जयपुर।	31.10.2025	जीएडी/5/टी-1/109, विद्याधर नगर
37.	53/2008	श्री भवानी सिंह राठौड कनिष्ठ लिपिक नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा (मुख्यालय) जयपुर।	30.04.2035	जीएडी/5/टी-1/110, विद्याधर नगर
38.	54/2008	श्रीमती रजवन्ती मीणा कनिष्ठ लिपिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर।	30.06.2037	जीएडी/5/टी-1/112, विद्याधर नगर
39.	9/2013	श्री हेमा राम लिपिक ग्रेड-1 राजस्व (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	28.02.2038	जीएडी/5/टी-1/125, विद्याधर नगर
40.	11/2013	श्री जाहिद अली लिपिक ग्रेड-1 शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2047	जीएडी/5/टी-1/128बी, विद्याधर नगर
41.	56/2008	श्री राजेश कुमार पटवा वाहन चालक वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।	30.05.2027	जीएडी/5/टी-1/137, विद्याधर नगर
42.	57/2008	श्री अशोक सैन कनिष्ठ लिपिक कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर।	30.06.2046	जीएडी/5/टी-1/148, विद्याधर नगर
43.	60/2008	श्रीमती दुर्गा खोलिया लेब टेक्नीशियन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.08.2037	जीएडी/5/टी-1/150, विद्याधर नगर

Kamal

44.	13/2013	श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.01.2043	जीएडी/5/टी-1/158, विद्याधर नगर
45.	62/2008	श्री सतीश कुमार चन्दोलिया कनिष्ठ लिपिक कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण), जयपुर।	28.02.2037	जीएडी/5/टी-1/159, विद्याधर नगर
46.	63/2008	श्री कमल किशोर शर्मा कनिष्ठ लिपिक लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।	30.09.2025	जीएडी/5/टी-1/160, विद्याधर नगर

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 1,9,10,21,22,23,24,25 एवं 34 पर अंकित आवण्टियों से कॉमन सुविधा राशि रुपये 75/- (अक्षरे राशि रुपये पिचहत्तर मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


ह

(चन्दा लाल मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय/नागरिक सुरक्षा एवं गृहस्था, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

7. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग क्षेत्र कृषि निदेशालय राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. प्राचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, निदेशालय पेंशन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, साधारण बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (विशेष शाखा)/जयपुर (ग्रामीण), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जनाना अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, (फास्ट ट्रेक), क्रम संख्या-8, जयपुर शहर/मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. प्रभारी, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, सेठी कॉलोनी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
21. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
22. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
23. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
24. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
25. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
26. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
27. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
28. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
29. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
30. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर